रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022026-270341
CG-DL-E-20022026-270341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947
No. 838] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 878(अ).— केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती है, और तदनुसार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन संभावित रूप से प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है; और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना उस तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार में लिया जाएगा जिस तारीख से इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी जाती हैं;

मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे लिखित रूप में, केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ, निर्धारित अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को भेज सकता है, या मंत्रालय के ई-मेल पते esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारुप अधिसूचना

जबकि, डेयिंग एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य, जो पासीघाट से लगभग 4.5 किमी हवाई दूरी पर है, मोटे तौर पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में 95˚22′ से 95˚.29′ पूर्वी देशांतर और 27˚51′ से 28˚05′ उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह अभयारण्य विशाल सियांग नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 190 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य की अधिसूचना राजपत्र अधिसूचना संख्या एफओआर . 284.78/15895-935 तारीख 23 अगस्त 1978 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

और जबकि उक्त अभयारण्य महत्वपूर्ण है और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षियों और स्तनधारियों की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यह अभयारण्य जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और पूर्वी हिमालय में जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। डेयिंग एरिंग का घास का मैदान बंगाल फ्लोरिकन और अन्य घास के मैदानी पक्षियों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है, जो विश्व स्तर पर संकटग्रस्त हैं, जैसे कि स्वैम्प फ्रैंकोलिन, ब्लैक-ब्रेस्टेड पैरटबिल, स्वैम्प प्रिनिया और जेरडॉन बैबलर। गंभीर रूप से संकटग्रस्त/संकटग्रस्त गिद्धों की पाँच से अधिक प्रजातियों की उपस्थिति भी इस अभयारण्य की एक अनूठी विशेषता है। अभयारण्य का जल निकाय शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग और प्रवास के रूप में भी कार्य करता है। पक्षी-जीवों की आबादी के अलावा, यह एशियाई हाथियों, जंगली भैंसों, तेंदुओं, हॉग हिरण, सांभर आदि जैसे बड़े स्तनधारियों का भी आवास है। अभयारण्य में दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय चीनी पैंगोलिन और हिस्पिड खरगोश पाए जाते हैं;

और जबकि अभयारण्य का प्रतिनिधित्व विभिन्न पौधों की प्रजातियों द्वारा किया जाता है जैसे कोराई (*अल्बिजिया प्रोसेरा*), होलोक (*टर्मिनलिया मायरियोकार्पा*), मोज (*अल्बिजिया ल्यूसिडा*), सुबाबुल (*ल्यूकोनिया लेकोसेफला*), सिमुल (*बॉम्बैक्स सीइबा*), पिचोला (*किडिया कैलीसीना*), सोकमारा (*यूरेना लोबेट*), डिमारू (*फ़िकस नेरीफ़ोलिया*), लता डिमारू (*फ़िकस हेडेरेसिया*), अमारी (*अमूरा वालिची*), चिसोचेतन पैनिकुलैटस, बारामथुरी (*मैगनोलिया पटरोकार्पा*), उदुल (*स्टरकुलिया विलोसा*), आउटेंगा (*डेलेनिया इंडिका*), सैटियाना (*एल्सटोनिया स्कॉलरिस*), यूरियम (*बिस्कोफिया जावानिका*), अमलाकी (*एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस*), गनमोला (*कैलिकार्पा आर्बोरिया*) आदि;

और जबकि अभयारण्य में पाए जाने वाले स्तनधारियों की विभिन्न प्रजातियों में सामान्य तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस बंगालेंसिस*), छोटा भारतीय सिवेट (*विवरिकुला इंडिका*), मछुआरी बिल्ली (*फेलिस विवरिना*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), भारतीय लोमड़ी (*वल्पेस बंगालेंसिस*) हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*), जंगली भैंसा (*बुबलिस अर्नी*), सांभर (*रूसा यूनिकलर*), बार्किंग डियर (*मंटियाकस मुंटजैक*), हॉग डियर (*एक्सिस पोर्सिनस*), रीसस मकाक (*मैकका मुलता*), असमिया मकाक (*मैकका असामेंसिस*), जंगली सूअर (*सस स्क्रोफा*), चीनी साही (*मैनिस पेंटाडैक्टाइला*) आदि सम्मिलित हैं;

और जबकि डेयिंग एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य कई संकटग्रस्त, लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियों का वास है, हालाँकि उनके बारे में जानकारी सीमित है। इस अभयारण्य में उनके संरक्षण पर केंद्रित भविष्य के अनुसंधान की महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं। डेयिंग एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र, विस्तार और सीमाओं को संरक्षित और सुरक्षित रखना आवश्यक है, जिन्हें पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जैव विविधता के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है और उक्त पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्ग और उनके संचालन और प्रक्रियाओं को निषेध करना आवश्यक है;

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश के डेयिंग एरिंग मेमोरियल वन्यजीव

अभयारण्य की सीमा के आसपास एक पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा जाएगा) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है, अर्थात्: -

1. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएँ.- (1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन शून्य से 1 किलोमीटर तक विस्तृत है, जो अभयारण्य के चारों ओर 68.738 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरता है, जिसमें अवर्गीकृत राज्य वन भूमि भी सम्मिलित है। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है: -

दिशा	किलोमीटर में विस्तार
उत्तर	1 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	1 किलोमीटर
पूर्व	1 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	1 किलोमीटर
दक्षिण	0 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	1 किलोमीटर
पश्चिम	1 किलोमीटर
उत्तर -पश्चिम	1 किलोमीटर

दक्षिणी ओर, अरुणाचल प्रदेश और असम की अंतर-राज्यीय सीमा के कारण पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा 0 किमी रखी गई है।

(2) डेयिंग एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के मानचित्र **अनुलग्नक- I क, I ख** और **I ग** पर में संलग्न हैं।

(3) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन का सीमा विवरण अनुलग्नक-II पर संलग्न है।

(4) **सारणी क** और **ख** में उल्लिखित डेयिंग एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक **अनुलग्नक-III** पर संलग्न हैं।

(5) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में आने वाले चार गांवों की सूची **अनुलग्नक-IV** पर संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार तथा केंद्रीय और राज्य विधानों के सुसंगत और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के अनुरुप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय महत्वों को एकीकृत किया जा सके.-

i. पर्यावरण;

ii. वन एवं वन्यजीव;

iii. कृषि;

iv. राजस्व;

v. शहरी विकास;

vi. पर्यटन;

vii. ग्रामीण विकास;

viii. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण;

ix. नगर पालिका;

x. पंचायती राज;

xi. लोक निर्माण विभाग;

xii. अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(4) आंचलिक महायोजना में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, में वनरहित क्षेत्रों का पुर्नस्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का प्रबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

(6) आंचलिक महायोजना में विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग ब्यौरों का विवरण देते हुए सहायक मानचित्रों के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास का विनियमित किया जायेगा और पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिबंधित और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सके।

(10) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार होने तक, सभी नए निर्माण और अन्य विकासात्मक क्रियाकलाप निगरानी समिति को भेजे जाएगें।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

बशर्ते कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनो हेतु उपयोग, मॉनीटरी समिति की सिफारिश पर केंद्र तथा राज्य सरकार के शहरी नियोजन अधिनियम तथा अन्य नियमों एवं विनियमों, यथा लागू, के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के पूर्व अनुमोदन द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा, जैसे कि,-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और मजबूत करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी अवसंरचनाओं और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीनीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 के मद में यथा उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मॉनीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

बशर्ते यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों पर रोक लगाई जा सके जो इन क्षेत्रों के लिए हानिकारक है।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी-संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(क) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ख) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जाएगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या मौजूद पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(ii) जब तक आंचलिक महायोजना को अनुमोदन नहीं मिल जाता, तब तक पर्यटन के विकास और मौजूदा पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को स्थल-विशिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा।

(4) प्राकृतिक विरासत. – पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनाई जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनाई जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण समय-समय पर यथासंशोधित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 और इसके उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण. –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण. -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों और समय-समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(9) ठोस अपशिष्ट. - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक सामग्री का निपटान पर्यावरणीय रीति में पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात स्थल पर किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट. - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, समय -समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए मौजूद नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जाएगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन. – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन समय -समय पर यथा संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन समय -समय पर यथा संशोधित सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई–अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और समय -समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

14. वाहन यातायात.- वाहन यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहन यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन प्रदूषण.- वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छ ईंधन जैसे सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां. - (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमत किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण. - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या मौजूदा खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-

पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा पर्यावरण, वन और वन्य जीवन से संबंधित भारत सरकार के अन्य अधिसूचनाओं, विधियों और अधिनियमों, पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय, संख्या 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से और समय-समय पर यथा संशोधित विधियों के उपबंधों द्वारा विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और पिसाई इकाईयाँ ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी खोदने सहित स्थानीय निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने को छोड़कर, सभी नए और मौजूदा खनन (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और पिसाई ईकाइयों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है; (ख) खनन के कार्य टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995 और गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 435/2012 तारीख 21 अप्रैल, 2014 और आईए संख्या 1000/2003 तारीख 3 जून, 2022 और उसके बाद आईए संख्या 131377/2022 के निर्णय तारीख 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेशों के अनुसार किए जाएंगे।
2	प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः बशर्ते कि समय-समय पर यथा संशोधित इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किये जाने तक गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर अनुमति दी जाएगी।
3	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4	किसी हानिकारक पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
7	पर्यटन से संबंधित अन्य कार्यकलाप जैसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ऊपर हॉटर बलून, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि का उड़ान भरना।	प्रतिषिद्ध। बशर्ते, वन और वन्यजीव विभाग गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वृत्तचित्र बनाकर वन, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं।
8	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर नई और मौजूद आरा मीलों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं होगी।
9	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।

		ख.विनियमित क्रियाकलाप
10	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु व अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए होटलों, रिसोर्टों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के स्थापना की अनुमति नहीं होगी: बशर्ते, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से आगे या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, सभी नई पर्यटन क्रियाकलाप या मौजूदा क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
11	निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर दायरे में या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: (ख) बशर्ते, स्थानीय लोगों को स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उप-नियमों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी: बशर्ते यह और कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम ही रखा जाएगा, यदि कोई हो; (ग) एक किलोमीटर के दायरे से आगे इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
12	लघु पैमाने के प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को, समय-समय पर संशोधित, राज्य में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुमति दी जाएगी।
13	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर से वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई को संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
14	वन उत्पाद या काष्ठेतर वन उत्पाद का संग्रहण(एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
15	विद्युत एवं संचार टावरों का निर्माण तथा केबल बिछाना एवं अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है)।
16	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन के उपाय करना।
17	मौजूदा सड़कों को चौड़ा और मजबूत करना तथा नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उचित पर्यावरण प्रभाव आकलन सहित उपशमन के उपाय करना।

18	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
19	रात के समय वाहनों का आवागमन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
20	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्टों का निर्वहन।	उपचारित अपशिष्ट जल या अपशिष्टों को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा, अनुपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्टों के निर्वहन को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
21	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
22	कृषि या अन्य उपयोग के खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित है और उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा कार्यकलापों कि सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए।
23	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
24	विदेशी प्रजातियों का समावेशन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
25	पारिस्थितिकी-पर्यटन	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
26	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित, जहां कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए और नॉनवोवन प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होगा।
27	व्यावसायिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
		ग. संवर्धित क्रियाकलाप
28	वर्ष जल संग्रहण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
29	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30	सभी कार्यकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31	ग्रामीण कारीगर कुटीर उद्योग इत्यादि सहित।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32	नवीकरणीय ऊर्जा एवं ईंधन का उपयोग।	बायो-गैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33	कृषि-वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34	बागवानी और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36	अवक्रमित भूमि/वन/पर्यावास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37	पर्यावरण जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति- केंद्र सरकार एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, नामत: -

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(1)	उपायुक्त, पूर्वी सियांग जिला, पासीघाट	अध्यक्ष, पदेन;
(2)	सदस्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(3)	पर्यावरण या वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(4)	प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण या वानिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(5)	लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि, जिला पूर्वी सियांग, पासीघाट।	सदस्य, पदेन;
(6)	शहरी विकास विभाग का एक प्रतिनिधि, जिला पूर्वी सियांग, पासीघाट।	सदस्य, पदेन;
(7)	ग्रामीण निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि, जिला पूर्वी सियांग, पासीघाट।	सदस्य, पदेन;
(8)	प्रभागीय वन अधिकारी, डेइंग इरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य प्रभाग, रोइंग।	सचिव सदस्य-, पदेन।

6.निगरानी समिति के कृत्य: - (1) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मॉनीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना को विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) जो क्रियाकलाप भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में न आते हों और इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हों, की संवीक्षा निगरानी समिति द्वारा वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर की जाएंगी और उससे संबंधित नियामक प्राधिकरणों को संदर्भित किया जाएगा।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(4) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों के प्रतिनिधियों या पणधारियों को, प्रत्येक मामले मे अपेक्षा के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को, **अनुलग्नक-V** के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी, इसके साथ संलग्न है।

(6) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मॉनीटरी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि कोई हों, अतिरिक्त उपाय विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश. - इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/05/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक I क

<u>डेयिंग एरिंग स्मारक वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र</u>

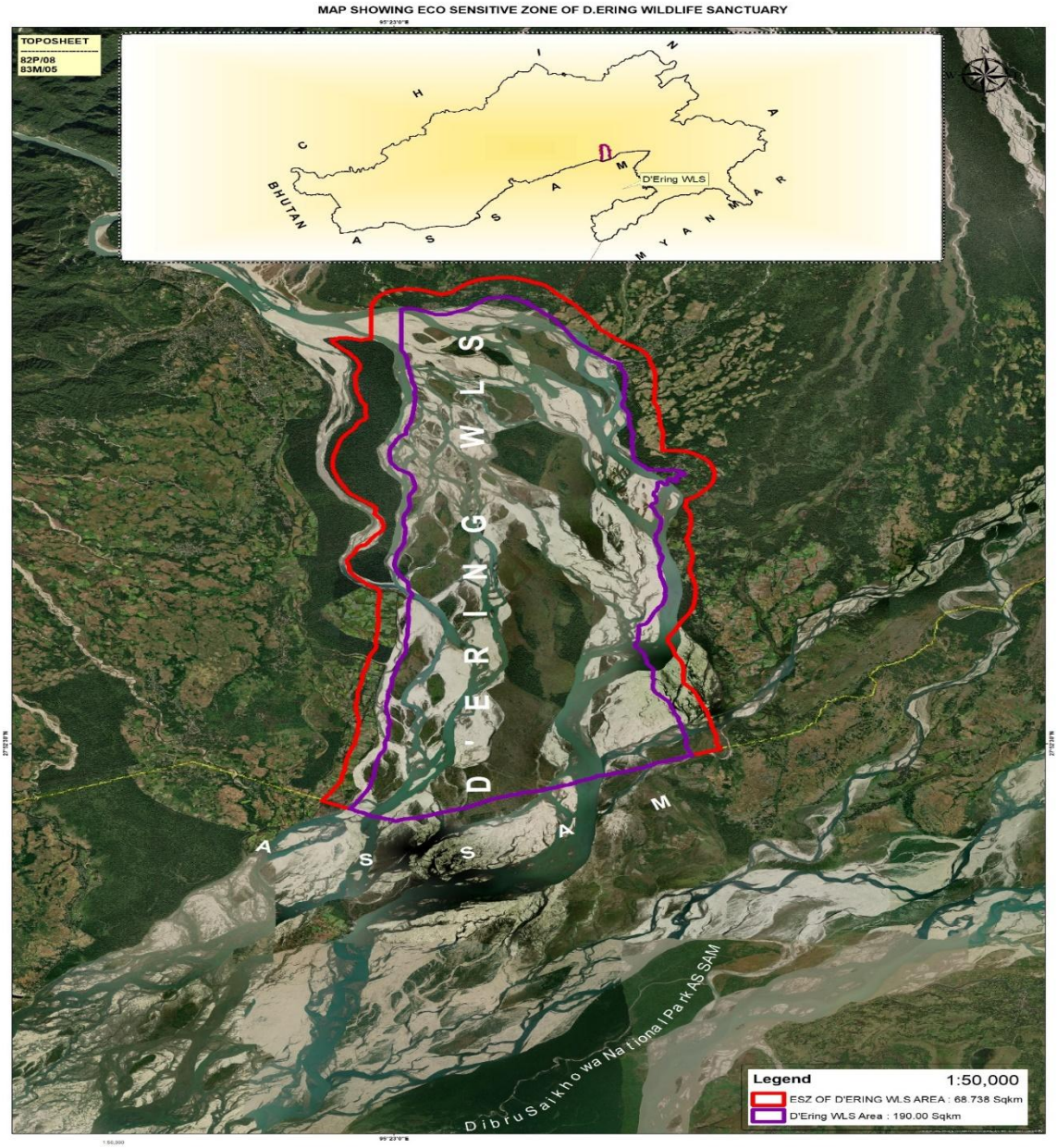

अनुलग्नक I ख

डेइंग एरिंग स्मारक वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गाँवों को दर्शाने वाला टोपोशीट मानचित्र

MAP SHOWING FRINGE VILLAGES IN THE PROPOSED ECO SENSITIVE ZONE OF D.ERING WILDLIFE SANCTUARY

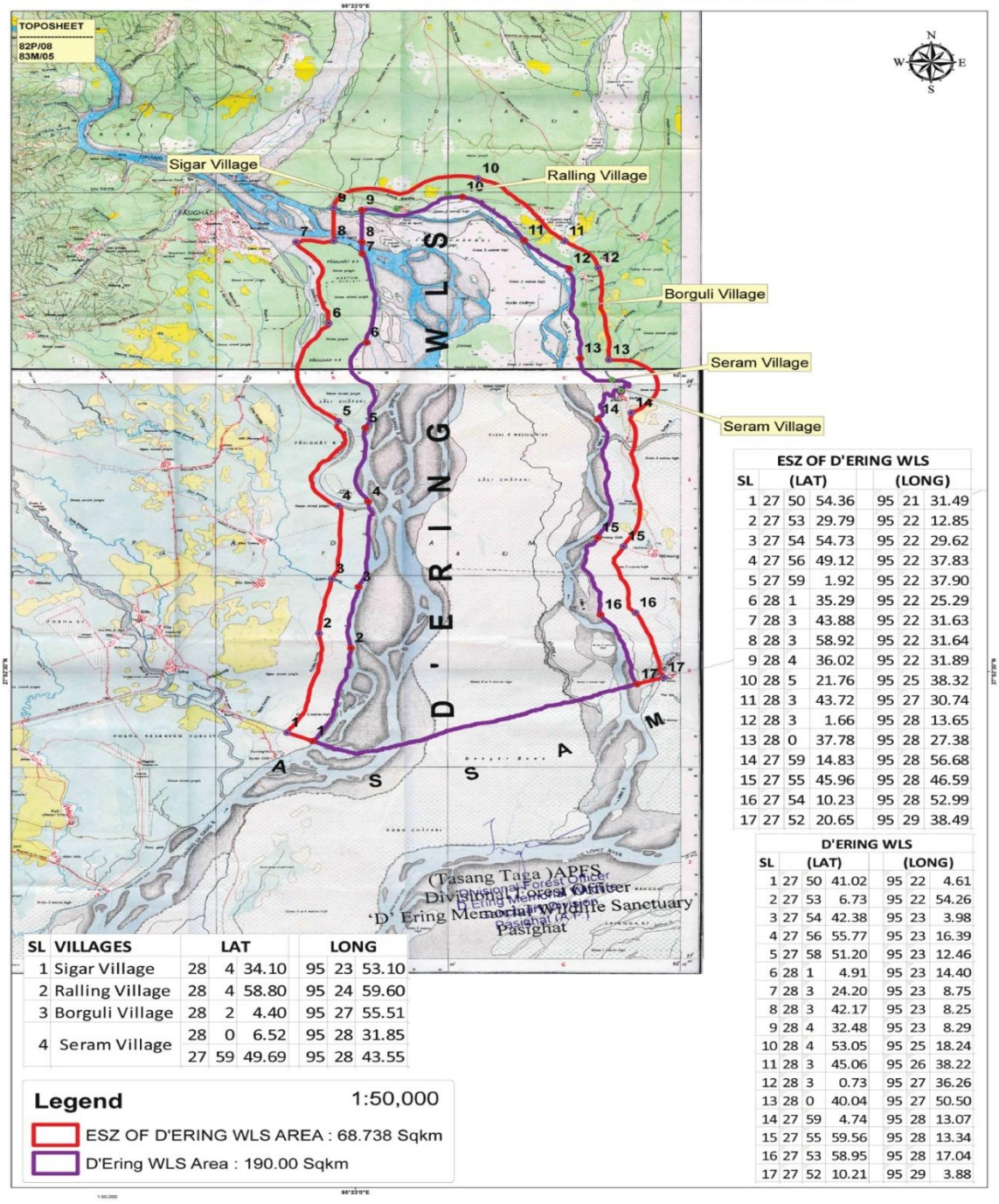

SL	VILLAGES	LAT			LONG		
1	Sigar Village	28	4	34.10	95	23	53.10
2	Ralling Village	28	4	58.80	95	24	59.60
3	Borguli Village	28	2	4.40	95	27	55.51
4	Seram Village	28	0	6.52	95	28	31.85
		27	59	49.69	95	28	43.55

ESZ OF D'ERING WLS						
SL	(LAT)			(LONG)		
1	27	50	54.36	95	21	31.49
2	27	53	29.79	95	22	12.85
3	27	54	54.73	95	22	29.62
4	27	56	49.12	95	22	37.83
5	27	59	1.92	95	22	37.90
6	28	1	35.29	95	22	25.29
7	28	3	43.88	95	22	31.63
8	28	3	58.92	95	22	31.64
9	28	4	36.02	95	22	31.89
10	28	5	21.76	95	25	38.32
11	28	3	43.72	95	27	30.74
12	28	3	1.66	95	28	13.65
13	28	0	37.78	95	28	27.38
14	27	59	14.83	95	28	56.68
15	27	55	45.96	95	28	46.59
16	27	54	10.23	95	28	52.99
17	27	52	20.65	95	29	38.49

D'ERING WLS						
SL	(LAT)			(LONG)		
1	27	50	41.02	95	22	4.61
2	27	53	6.73	95	22	54.26
3	27	54	42.38	95	23	3.98
4	27	56	55.77	95	23	16.39
5	27	58	51.20	95	23	12.46
6	28	1	4.91	95	23	14.40
7	28	3	24.20	95	23	8.75
8	28	3	42.17	95	23	8.25
9	28	4	32.48	95	23	8.29
10	28	4	53.05	95	25	18.24
11	28	3	45.06	95	26	38.22
12	28	3	0.73	95	27	36.26
13	28	0	40.04	95	27	50.50
14	27	59	4.74	95	28	13.07
15	27	55	59.56	95	28	13.34
16	27	53	58.95	95	28	17.04
17	27	52	10.21	95	29	3.88

अनुलग्नक I ग

डेइंग एरिंग स्मारक वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-निर्देशांक सहित टोपोशीट मानचित्र

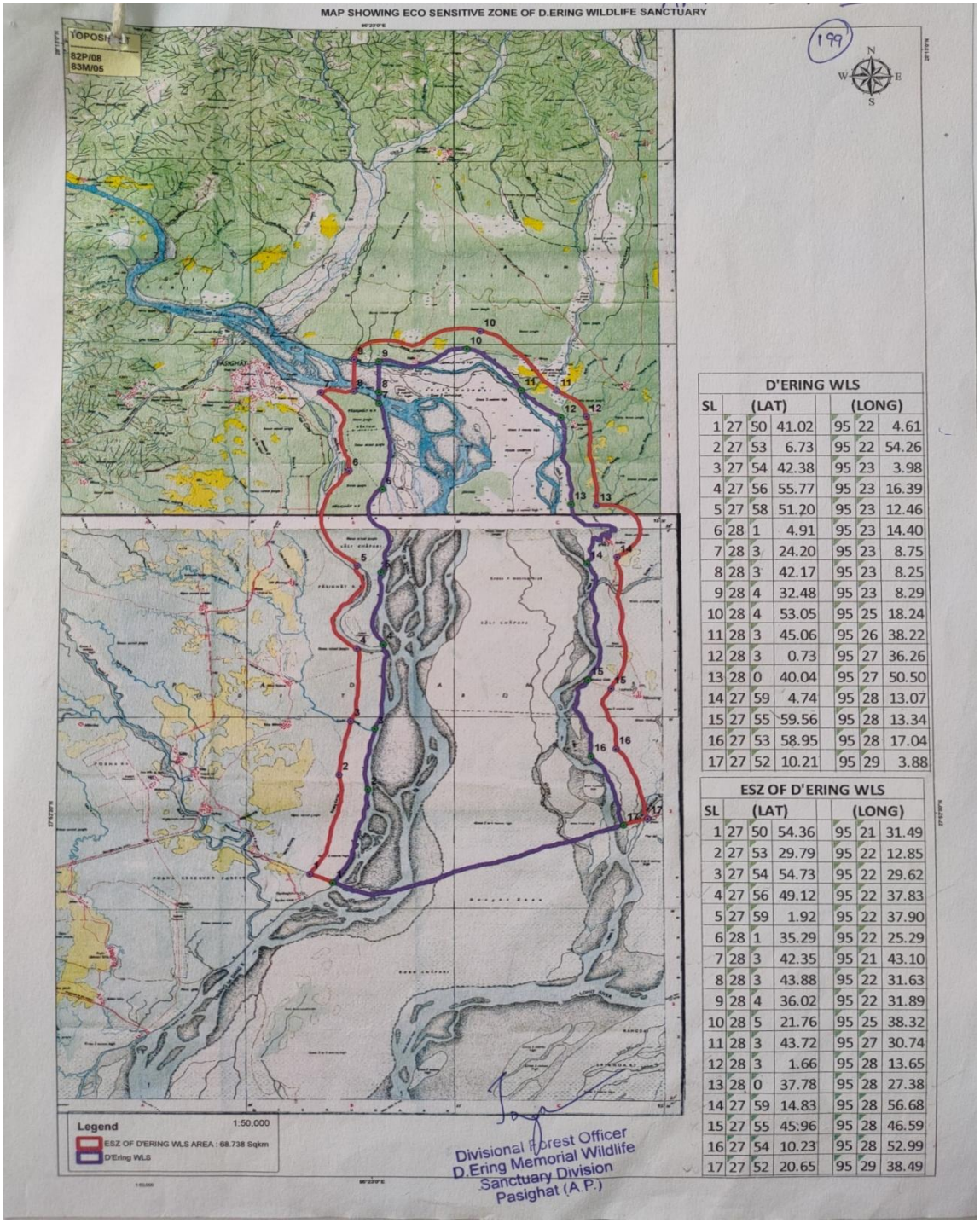

D'ERING WLS						
SL	(LAT)			(LONG)		
1	27	50	41.02	95	22	4.61
2	27	53	6.73	95	22	54.26
3	27	54	42.38	95	23	3.98
4	27	56	55.77	95	23	16.39
5	27	58	51.20	95	23	12.46
6	28	1	4.91	95	23	14.40
7	28	3	24.20	95	23	8.75
8	28	3	42.17	95	23	8.25
9	28	4	32.48	95	23	8.29
10	28	4	53.05	95	25	18.24
11	28	3	45.06	95	26	38.22
12	28	3	0.73	95	27	36.26
13	28	0	40.04	95	27	50.50
14	27	59	4.74	95	28	13.07
15	27	55	59.56	95	28	13.34
16	27	53	58.95	95	28	17.04
17	27	52	10.21	95	29	3.88

ESZ OF D'ERING WLS						
SL	(LAT)			(LONG)		
1	27	50	54.36	95	21	31.49
2	27	53	29.79	95	22	12.85
3	27	54	54.73	95	22	29.62
4	27	56	49.12	95	22	37.83
5	27	59	1.92	95	22	37.90
6	28	1	35.29	95	22	25.29
7	28	3	42.35	95	21	43.10
8	28	3	43.88	95	22	31.63
9	28	4	36.02	95	22	31.89
10	28	5	21.76	95	25	38.32
11	28	3	43.72	95	27	30.74
12	28	3	1.66	95	28	13.65
13	28	0	37.78	95	28	27.38
14	27	59	14.83	95	28	56.68
15	27	55	45.96	95	28	46.59
16	27	54	10.23	95	28	52.99
17	27	52	20.65	95	29	38.49

अनुलग्नक- II

डेयिंग एरिंग स्मारक वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

दिशा	सीमा विवरण
उत्तर	भू-निर्देशांक बिंदु 28°4'36.02" उ, 95°22'31.89′ पू पर सियांग नदी के बाएं किनारे पर एक बिंदु से शुरू होकर, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा डी' एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के समानांतर पूर्व की ओर 1 किमी की दूरी पर चलती है और भू-निर्देशांक बिंदु 28°5'21.76" उ, 95°25′ 38.32" पू को भू-निर्देशांक बिंदु 28°3′ 1.66" उ, 95°28′13.65" पू तक छूती है।
पूर्व	फिर सीमा डी'एरिंग की सीमा के समानांतर दक्षिण की ओर बढ़ती है, जो 28°0'37.78" उ, 95°28' 27.38" पू, 27°59'14.83" उ, 95°28'56.68" पू पर स्थित भू-निर्देशांक बिंदु है, जब तक कि यह 27°52'20.65" उ, 95"29'38.49" पू पर स्थित भू-निर्देशांक बिंदु से नहीं मिल जाती।
दक्षिण	फिर दक्षिण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन असम और अरुणाचल प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमा के रूप में भारतीय सर्वेक्षण रेखा के साथ है जब तक कि यह भू-निर्देशांक 27°50′54.36" उ, 95°21'31.49" पू से नहीं मिल जाता
पश्चिम	फिर सीमा अभयारण्य सीमा के समानांतर उत्तर की ओर 1 किमी की दूरी पर चलती है जब तक कि यह भू-निर्देशांक बिंदु 27°56′ 49.12" उ. 95°22′37.83" पू. से नहीं मिल जाती, फिर सीमा पासीघाट आरएफ के अंदर सियांग नदी के मोरा सियांग चैनल के साथ बिंदु 27°3' 42.35"उ, 95°21'43.10"पू तक चलती है। फिर यह पूर्व की ओर बढ़ती है और भू-निर्देशांक बिंदु 28°3' 43.88"उ. 95°22'31.63"पू को छूती है जब तक कि यह शुरुआती बिंदु से नहीं मिलती

अनुलग्नक- III

सारणी क. डेइंग एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक

डेइंग एरिंग वन्यजीव अभयारण्य							
क्र.स.	(उ)				(पू)		
1	27	50	41.02		95	22	4.61
2	27	53	6.73		95	22	54.26
3	27	54	42.38		95	23	3.98
4	27	56	55.77		95	23	16.39
5	27	58	51.20		95	23	12.46
6	28	1	4.91		95	23	14.40
7	28	3	24.20		95	23	8.75
8	28	3	42.17		95	23	8.25
9	28	4	32.48		95	23	8.29
10	28	4	53.05		95	25	18.24

11	28	3	45.06		95	26	38.22
12	28	3	0.73		95	27	36.26
13	28	0	40.04		95	27	50.50
14	27	59	4.74		95	28	13.07
15	27	55	59.56		95	28	13.34
16	27	53	58.95		95	28	17.04
17	27	52	10.21		95	29	3.88

सारणी ख . पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के भू-निर्देशांक

डेइंग एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिकी संवेदी जोन							
क्र.स.	(पू)				(उ)		
1	27	50	54.36		95	21	31.49
2	27	53	29.79		95	22	12.85
3	27	54	54.73		95	22	29.62
4	27	56	49.12		95	22	37.83
5	27	59	1.92		95	22	37.90
6	28	1	35.29		95	22	25.29
7	28	3	43.88		95	22	31.63
8	28	3	58.92		95	22	31.64
9	28	4	36.02		95	22	31.89
10	28	5	21.76		95	25	38.32
11	28	3	43.72		95	27	30.74
12	28	3	1.66		95	28	13.65
13	28	0	37.78		95	28	27.38
14	27	59	14.83		95	28	56.68
15	27	55	45.96		95	28	46.59
16	27	54	10.23		95	28	52.99
17	27	52	20.65		95	29	38.49

अनुलग्नक- IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गाँवों की सूची

क्र. स.	गाँव का नाम	भू-निर्देशांक
1	सिगार	28°4'34.10" उ 95°23'53.10" पू
2	रैलिंग	28°4'58.80" उ 95°24'59.60" पू
3	बोर्गुली	28°2'4.40" उ 95°27'55.51" पू
4	सेराम	28°0'6.52" उ 95°28'31.85" पू 27°59'49.69" उ 95°28'43.55" पू

अनुलग्नक V

अनुवर्ती कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र . -

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2026

S.O. 878(E).— The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary which is about 4.5 km aerial distance from Pasighat roughly lies in between 95˚22′ to 95˚.29′ East Longitude and 27˚51′ to 28˚05′ North Latitude in East Siang District of Arunachal Pradesh. The Sanctuary lies in the flood plains of mighty Siang river with a total area of 190 square kilometre. The notification of the Sanctuary was published vide Gazette Notification No FOR. 284.78/15895-935 dated the 23rd August 1978;

AND WHEREAS the said sanctuary is important and is known for presence of globally threatened birds and mammals. The sanctuary is extremely rich in biodiversity and forms a part of biodiversity hotspot in Eastern Himalayas. The grassland of Daying Ering is the finest area for Bengal Florican and other grassland birds which are globally threatened, such as Swamp Francolin, Black-breasted Parrotbill, Swamp Prinia and Jerdon's Babbler. Presence of more than five specifies of critically endangered/near threatened vultures is also a unique feature of the sanctuary. The water body of the sanctuary also serves as an important route and destination for winter migratory birds. Besides avifaunal population, it is also the home of big mammals like Asiatic Elephants, Wild Buffalos, Leopard, Hog Deer, Sambars, etc. The rare and critically endangered Chinese Pangolin and hispid hare are found in the sanctuary;

AND WHEREAS the Sanctuary is represented by various plant species such as Korai (*Albizia procera)*, Holok (*Terminalia myriocarpa*), Moj (*Albizia lucida*), Subabul (*Leuconea lecocephala*), Simul (*Bombax ceiba*), Pichola (*Kydia calycina*), Sokamara (*Urena lobate)*, Dimaru (Ficus *neriifolia*), Lata Dimaru (*Ficus hederacea*), Amari (*Amoora wallichii*), Chisocheton paniculatus, Baaramthuri (*Magnolia pterocarpa*), Udul (*Sterculia villosa*), Outenga (*Dellenia indica),* Satiana (*Alstonia scholaris*), Urium (*Bischofia javanica*), Amalaki (*Emblica officinalis*), Gunmola (*Callicarpa arborea*) etc.;

AND WHEREAS the various species of mammals found in the Sanctuary includes Common leopard (*Panthera pardus*), Jungle Cat (*Felis bengalensis*), Small indian civet (Viverricula indica), Fishing Cat (Felis viverrina), Jackal (*Canis aureus*), Indian Fox (*Vulpes bengalensis*), Elephant (*Elephus maximus*), Wild Buffalo (*Bubalis arnee*), Sambar (*Rusa unicolor*), Barking Deer (*Muntiacus muntjak*), Hog Deer (*Axis porcinus*), Rhesus macaque (*Maccaca mulata*), Assamese macaque (*Maccaca asamensis*), Wild boar (*Sus scrofa*), Chinese Porcupine (*Manis pentadactyla*) etc.;

AND WHEREAS, the Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary is home to many threatened, endangered and endemic species, though knowledge about them remains limited. The sanctuary holds significant potential for future research focused on their conservation. It is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of subsection (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an Eco-Sensitive Zone around the boundary of Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary of Arunachal Pradesh (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of the Eco-Sensitive Zone.–** (1) The Eco-Sensitive Zone varies from zero to 1 kilometre, encompassing an area of 68.738 square kilometre around the Sanctuary which includes unclassed state forest land. The Extent of Eco-Sensitive Zone in different directions is given below: -

Direction	Extent in Kilometre
North	1 kilometre
North-East	1 kilometre
East	1 kilometre
South-East	1 kilometre
South	0 kilometre
South-West	1 kilometre
West	1 kilometre
North-West	1 kilometre

At southern side, extent of ESZ is kept 0 km due to Inter-state boundary of Arunachal Pradesh and Assam.

(2) The Maps of the Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure- I A, I B and I C.**

(3) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure- II.**

(4) The geo-coordinates of the prominent locations of Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone mentioned at Table A and B is appended as **Annexure-III.**

(5) The list of four villages falling in Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure- IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.–

(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and in conformity to the provisions of this notification.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in accordance with the provisions of this notification and in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan: -

i. Environment;

ii. Forest and Wildlife;

iii. Agriculture;

iv. Revenue;

v. Urban Development;

vi. Tourism;

vii. Rural Development;

viii. Irrigation and Flood Control;

ix. Municipality;

x. Panchayati Raj;

xi. Public Works Department;

xii. Arunachal Pradesh State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure, and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and ensure and promote eco-friendly development for security of local community's livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Until the preparation of the Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone, all new construction and other developmental activities shall be referred to the Monitoring Committee.

3. Measures to be taken by the State Government.– The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. Small scale industries not causing pollution;

iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. Promoted activities and given under paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

i. Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.– The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.– (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone;

a) the Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Departments of Environment and Forests of the State Government;

b) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

c) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

d) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

i. all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

ii. until the Zonal Master Plan is prepared and approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage.– All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.– Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.– Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and as amended from time to time.

(7) Air pollution.– Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and as amended from time to time.

(8) Discharge of effluents.– The discharge of treated effluent in the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and as amended from time to time.

(9) Solid wastes.– Disposal and Management of solid wastes shall be as under-

a. The solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time. The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.

b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone

(10) Bio-medical waste.– Bio medical waste management shall be as under:

a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.– The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.– The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(13) E-waste.– The E- Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14)Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.– Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel such as CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units.–

a) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone on or after the publication of this notification in the Official Gazette,

b) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.– The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone.– All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under and other notifications, laws and acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-Sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012 dated the 21st April, 2014 and IA No. 1000 of 2003 dated the 3rd June, 2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 judgment dated the 26th April, 2023 and 28th April, 2023.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use, production, or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited.
7.	Under taking other activities related to tourism like flying over the protected area and its Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, and other aircrafts etc.	Prohibited. Provided that, the Forest and Wildlife Departments may use drone for creating awareness on forest, environment and wildlife conservation by making documentaries for non-commercial purpose.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities; Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area or up to the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer;

		(b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided that, the construction activity related to small-scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any; (c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small-scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time shall be permitted by the approval of competent Authority in the State.
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (Underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws and as per the master plan.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
21.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
22.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
23.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
24.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable law.
26.	Use of polythene bags.	Regulated as per applicable laws, and as amended from time to time where the thickness of the carry bag should not be less than 120 microns and Nonwoven plastic carry bag shall not be less than 60 Gram Per Square Meter (GSM).
27.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
33.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.

34.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.– The Central Government herby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Deputy Commissioner, East Siang District, Pasighat	Chairman, *ex-officio;*
2.	Member Secretary, Arunachal Pradesh State Biodiversity Board	Member, *ex officio;*
3.	One representative of Non-governmental organization working in the field of environment or wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Arunachal Pradesh State Government from time to time after every three years	Member*;*
4.	One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution or university in the State to be nominated by the Arunachal Pradesh State Government from time to time after every three years	Member*;*
5.	A representative from Public Works Department, East Siang District, Pasighat	Member, *ex officio;*
6.	A representative from Urban Development Department, East Siang District, Pasighat	Member, *ex officio;*
7.	A representative from Rural Works Department, East Siang District, Pasighat	Member, *ex officio;*
8.	Divisional Forest Officer, Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary Division, Roing	Member Secretary, *ex officio;*

6. Functions of the Monitoring Committee.– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinize, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per proforma appended at **Annexure V**.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. **Additional measures.–** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. **Supreme Court, etc. orders.–** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/05/2015-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist-'G'

Annexure I A

Map of the Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone

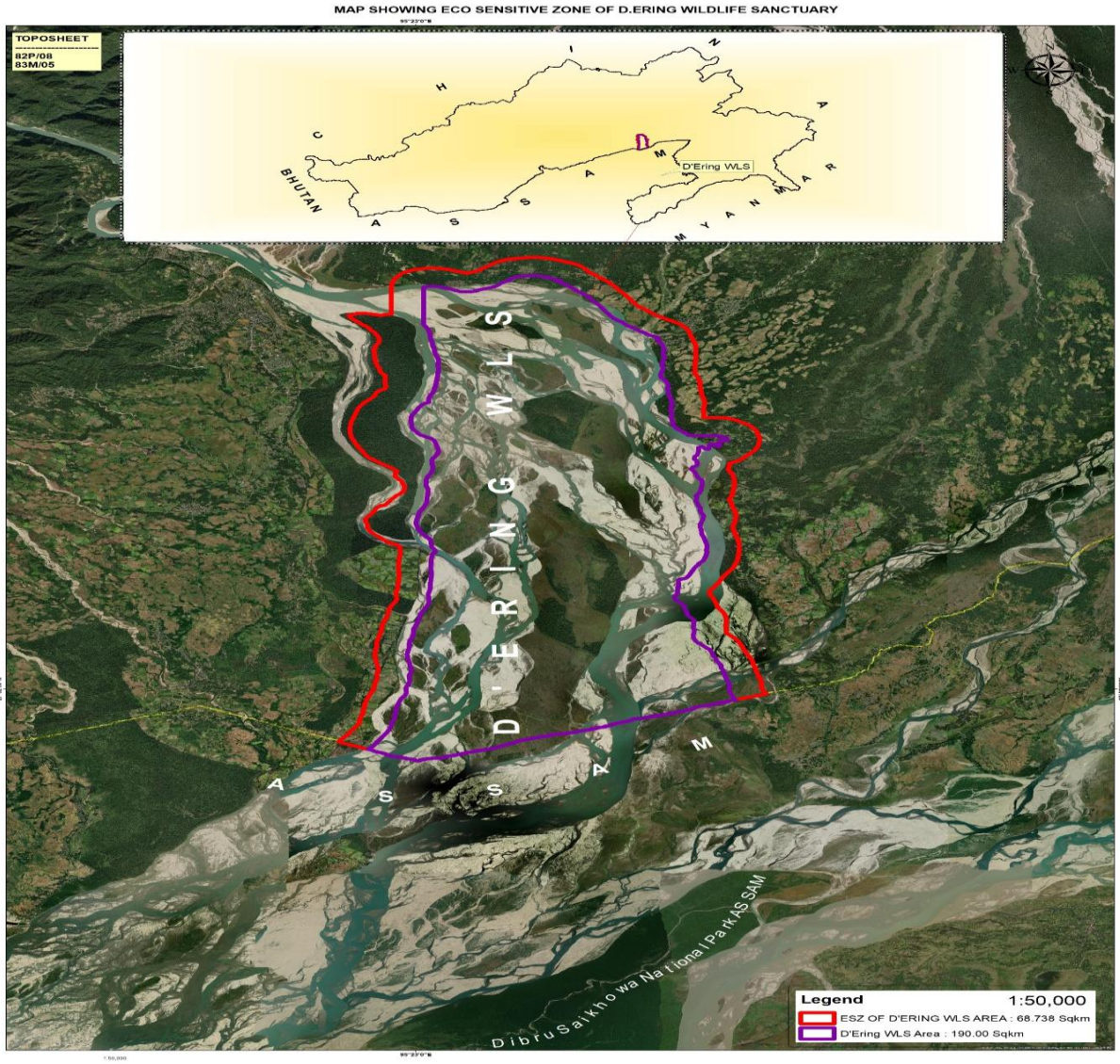

Annexure I B

Toposheet map showing villages falling inside Eco Sensitive Zone of Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary

MAP SHOWING FRINGE VILLAGES IN THE PROPOSED ECO SENSITIVE ZONE OF D.ERING WILDLIFE SANCTUARY

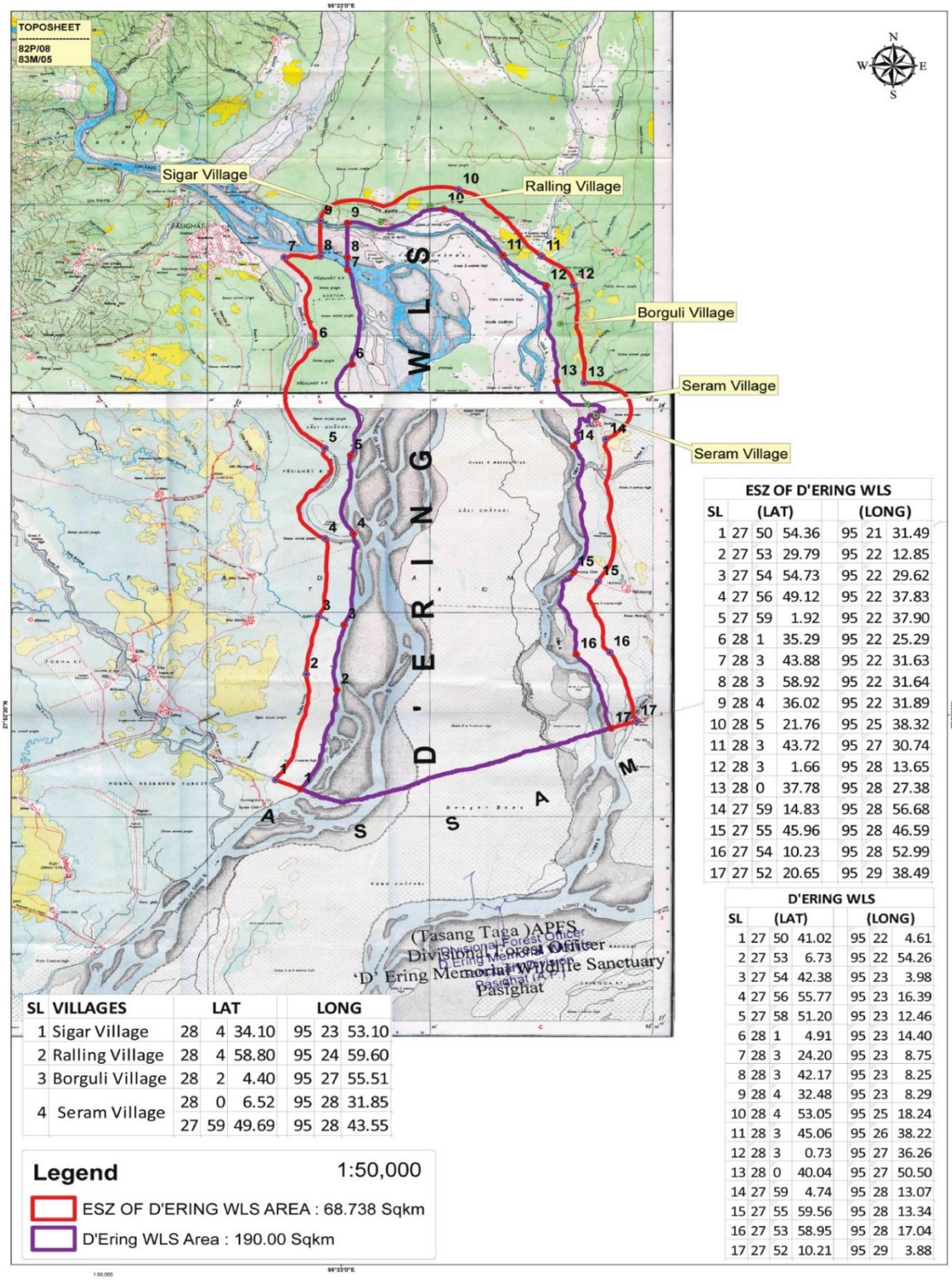

SL	VILLAGES	LAT			LONG		
1	Sigar Village	28	4	34.10	95	23	53.10
2	Ralling Village	28	4	58.80	95	24	59.60
3	Borguli Village	28	2	4.40	95	27	55.51
4	Seram Village	28	0	6.52	95	28	31.85
		27	59	49.69	95	28	43.55

ESZ OF D'ERING WLS

SL	(LAT)			(LONG)		
1	27	50	54.36	95	21	31.49
2	27	53	29.79	95	22	12.85
3	27	54	54.73	95	22	29.62
4	27	56	49.12	95	22	37.83
5	27	59	1.92	95	22	37.90
6	28	1	35.29	95	22	25.29
7	28	3	43.88	95	22	31.63
8	28	3	58.92	95	22	31.64
9	28	4	36.02	95	22	31.89
10	28	5	21.76	95	25	38.32
11	28	3	43.72	95	27	30.74
12	28	3	1.66	95	28	13.65
13	28	0	37.78	95	28	27.38
14	27	59	14.83	95	28	56.68
15	27	55	45.96	95	28	46.59
16	27	54	10.23	95	28	52.99
17	27	52	20.65	95	29	38.49

D'ERING WLS

SL	(LAT)			(LONG)		
1	27	50	41.02	95	22	4.61
2	27	53	6.73	95	22	54.26
3	27	54	42.38	95	23	3.98
4	27	56	55.77	95	23	16.39
5	27	58	51.20	95	23	12.46
6	28	1	4.91	95	23	14.40
7	28	3	24.20	95	23	8.75
8	28	3	42.17	95	23	8.25
9	28	4	32.48	95	23	8.29
10	28	4	53.05	95	25	18.24
11	28	3	45.06	95	26	38.22
12	28	3	0.73	95	27	36.26
13	28	0	40.04	95	27	50.50
14	27	59	4.74	95	28	13.07
15	27	55	59.56	95	28	13.34
16	27	53	58.95	95	28	17.04
17	27	52	10.21	95	29	3.88

Annexure I C

Toposheet map of the Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone with geo-coordinates

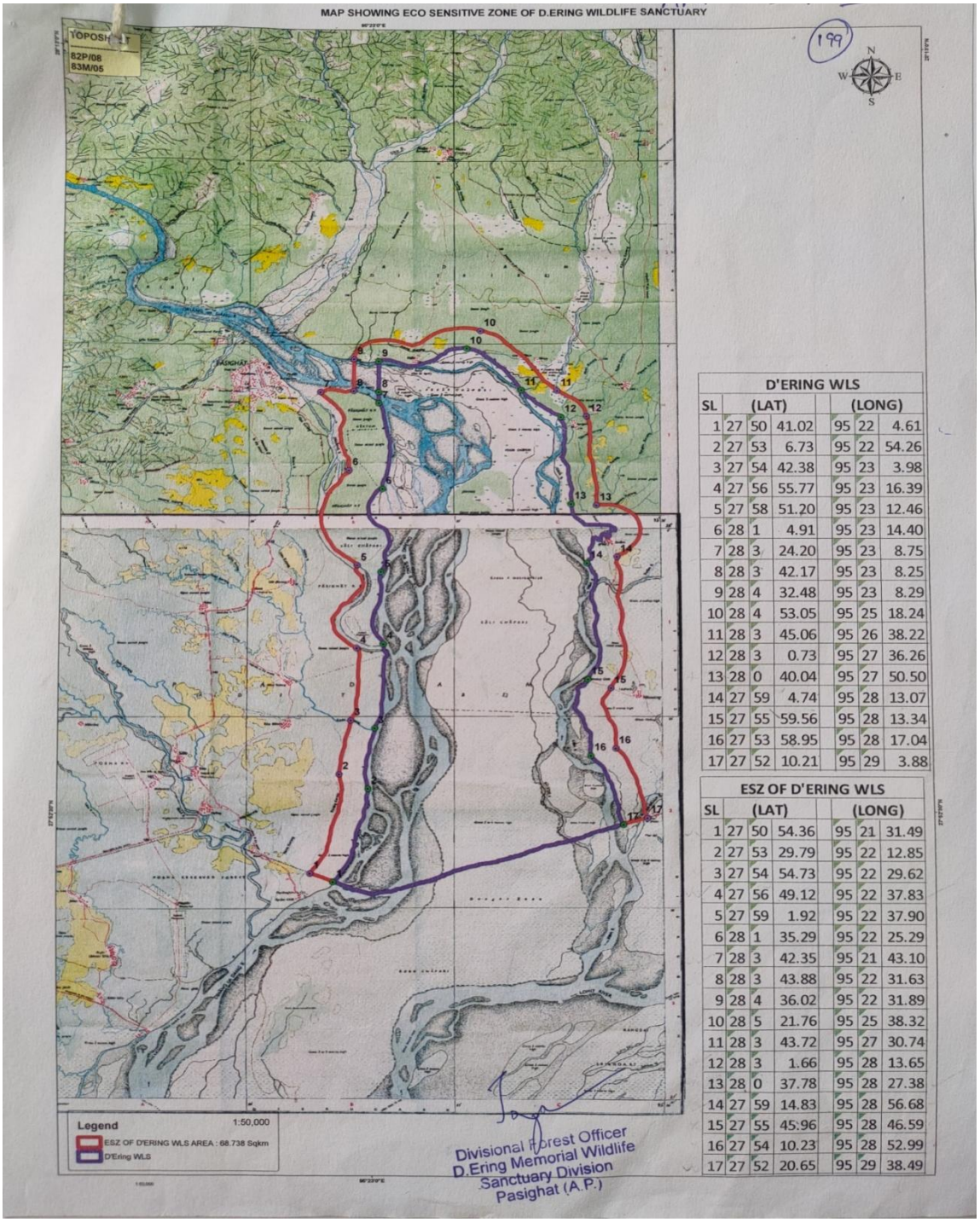

D'ERING WLS							
SL	(LAT)			(LONG)		
1	27	50	41.02	95	22	4.61
2	27	53	6.73	95	22	54.26
3	27	54	42.38	95	23	3.98
4	27	56	55.77	95	23	16.39
5	27	58	51.20	95	23	12.46
6	28	1	4.91	95	23	14.40
7	28	3	24.20	95	23	8.75
8	28	3	42.17	95	23	8.25
9	28	4	32.48	95	23	8.29
10	28	4	53.05	95	25	18.24
11	28	3	45.06	95	26	38.22
12	28	3	0.73	95	27	36.26
13	28	0	40.04	95	27	50.50
14	27	59	4.74	95	28	13.07
15	27	55	59.56	95	28	13.34
16	27	53	58.95	95	28	17.04
17	27	52	10.21	95	29	3.88

ESZ OF D'ERING WLS							
SL	(LAT)			(LONG)		
1	27	50	54.36	95	21	31.49
2	27	53	29.79	95	22	12.85
3	27	54	54.73	95	22	29.62
4	27	56	49.12	95	22	37.83
5	27	59	1.92	95	22	37.90
6	28	1	35.29	95	22	25.29
7	28	3	42.35	95	21	43.10
8	28	3	43.88	95	22	31.63
9	28	4	36.02	95	22	31.89
10	28	5	21.76	95	25	38.32
11	28	3	43.72	95	27	30.74
12	28	3	1.66	95	28	13.65
13	28	0	37.78	95	28	27.38
14	27	59	14.83	95	28	56.68
15	27	55	45.96	95	28	46.59
16	27	54	10.23	95	28	52.99
17	27	52	20.65	95	29	38.49

Annexure- II

Boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary

Direction	Boundary descriptions
North	Starting from a point at the left bank of Siang river at Geo-coordinates point 28°4'36.02" N, 95°22'31.89′ E, the boundary of Eco-Sensitive Zone moves towards east parallel to the boundary of D' Ering Memorial Wildlife Sanctuary with 1 km apart and touching the geo-coordinate points 28°5'21.76" N, 95°25′ 38.32" E, upto geo co-ordinate point 28°3′ 1.66" N, 95°28′13.65" E,
East	Then the boundary moves towards south parallel to the boundary of D'Ering which the geo co-ordinate point at 28°0'37.78" N, 95°28' 27.38" E, 27°59'14.83" N, 95°28'56.68" E till it meets the geo co-ordinate point 27°52'20.65" N, 95"29'38.49" E
South	Then at south the ESZ is along the survey of India line as interstate boundary of Assam and Arunachal Pradesh till it meets the geo co-ordinate 27°50′54.36" N, 95°21'31.49" E
West	Then the boundary moves towards north parallel to the sanctuary boundary with 1 km apart till it meets geo co-ordinate point 27°56′ 49.12" N. 95°22′37.83" E. Then the boundary moves along the Mora Siang channel of Siang River inside the Pasighat RF upto point 27°3' 42.35" N, 95°21'43.10" E. Then it moves east wards touching the geo co-ordinate point 28° 3' 43.88" N. 95°22'31.63" E till it meets the starting point

Annexure- III

Table A. Geo-coordinates of Daying Ering Memorial Wildlife Sanctuary

Daying Ering WLS							
S. No.	(N)				(E)		
1	27	50	41.02		95	22	4.61
2	27	53	6.73		95	22	54.26
3	27	54	42.38		95	23	3.98
4	27	56	55.77		95	23	16.39
5	27	58	51.20		95	23	12.46
6	28	1	4.91		95	23	14.40
7	28	3	24.20		95	23	8.75
8	28	3	42.17		95	23	8.25
9	28	4	32.48		95	23	8.29
10	28	4	53.05		95	25	18.24
11	28	3	45.06		95	26	38.22
12	28	3	0.73		95	27	36.26
13	28	0	40.04		95	27	50.50
14	27	59	4.74		95	28	13.07
15	27	55	59.56		95	28	13.34
16	27	53	58.95		95	28	17.04
17	27	52	10.21		95	29	3.88

Table B. Geo-coordinates of Eco Sensitive Zone Boundary

ESZ of Daying Ering Memorial WLS							
S. No.	**(E)**				**(N)**		
1	27	50	54.36		95	21	31.49
2	27	53	29.79		95	22	12.85
3	27	54	54.73		95	22	29.62
4	27	56	49.12		95	22	37.83
5	27	59	1.92		95	22	37.90
6	28	1	35.29		95	22	25.29
7	28	3	43.88		95	22	31.63
8	28	3	58.92		95	22	31.64
9	28	4	36.02		95	22	31.89
10	28	5	21.76		95	25	38.32
11	28	3	43.72		95	27	30.74
12	28	3	1.66		95	28	13.65
13	28	0	37.78		95	28	27.38
14	27	59	14.83		95	28	56.68
15	27	55	45.96		95	28	46.59
16	27	54	10.23		95	28	52.99
17	27	52	20.65		95	29	38.49

Annexure- IV

List of Villages falling within the Eco sensitive Zone

S. No.	Village name	Geo-coordinates
1	Sigar	28°4'34.10" N 95°23'53.10" E
2	Ralling	28°4'58.80" N 95°24'59.60" E
3	Borguli	28°2'4.40" N 95°27'55.51" E
4	Seram	28°0'6.52" N 95°28'31.85" E 27°59'49.69" N 95°28'43.55" E

Annexure- V

PROFORMA OF ACTION TAKEN REPORT

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.20 12:07:24 +05'30'